COVID-19 MOST-URGENT

राजस्थान—सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्रमांक : सामान्य/कोरोना/2020/30728 दिनांक : 28 मार्च, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोराना वायरस (COVID-19) के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षैत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश एवं दिशा निर्देशों के क्रम में वर्तमान में अन्य राज्यों की ओर पलायन करने वाले श्रमिकों के लिए राजस्थान राज्य की सीमा तक पहुचाये जाने की व्यवस्था किये जाने तथा अन्य राज्यों से भीलवाड़ा जिले के ओर पलायन करने वाले श्रमिकों को गन्तव्य स्थान तक पहुचानें की व्यवस्था एवं ऐसे श्रमिकों के लिए आवास, चाय, जलपान/भोजन, पानी इत्यादी की बुनियादी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु उपखण्ड क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर निम्नलिखित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है :—

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी	कार्य का विवरण
01	**प्रभारी अधिकारी** अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा मो.न. 94145—65612 **सहा.प्रभारी अधिकारी** श्री सी.पी.वर्मा, सहायक कलक्टर भीलवाड़ा प्रशिक्षु आर.ए.एस. मो.न.99287—30287	01. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश एवं दिशा निर्देशानुसार समस्त कार्य का पर्यवेक्षण, समन्वय, मोनिटरिंग तथा नियंत्रण करना 02. इस संबंध में आवश्यक दिशा—निर्देश जारी करना। 03. दैनिक प्रगति रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना।
02	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा मो.न.94146—24715	01. अन्य राज्यों से आने/जाने वाले श्रमिकों के परिवहन के दौरान कानून व्यवस्था हेतु पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाना। 02. जिले में आने वाले श्रमिकों को उनके गन्तव्य स्थान पर/घरों में 14 दिवस तक Home Isolate रहने की पालना करवाना।
03	समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला भीलवाड़ा	01. जिले में वर्तमान में अन्य राज्यों की ओर पलायन करने वाले श्रमिकों का चिन्हीकरण किया जाकर सूची तैयार करा समस्त संबंधित प्रभारी अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए 01—01 प्रति जिला कार्यालय, प्रभारी अधिकारी वॉर रूम (अति.जिला कलक्टर शहर भीलवाड़ा) एवं प्रभारी अधिकारी जिला नियत्रंण कक्ष को उपलब्ध कराना। 02. श्रमिकों का मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्यवाही पूर्ण करवाना। 03. श्रमिकों को निर्धारित स्थल पर एकत्रित किया जाकर राजस्थान परिवहन निगम द्वारा आवंटित बसों के माध्यम से राजस्थान राज्य सीमा तक पहुचाना। रास्ते में चाय, जलपान/भोजन, पानी इत्यादि की व्यवस्था करना। 04. राजस्थान राज्य की सीमा पर अन्य राज्य के जिलों से नियुक्त नोडल अधिकारी को सुपुर्द कराना एवं जब तक श्रमिको को सुपुर्द नही किया जाता है तब तक आवास व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना। 05. वापसी में राजस्थान राज्य की सीमा से इस जिले की ओर आने वाले श्रमिको को मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाने के पश्चात उनके गन्तव्य स्थान तक पहुचाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना। 06. जिले में आने वाले श्रमिकों को उनके गन्तव्य स्थान पर/घरों में 14 दिवस तक Home Isolate रहने की पालना करवाना। 07. इस हेतु प्रत्येक बस के लिए एक कोर्डिनेटर की नियुक्ति किया जाना।

Scanned by CamScanner

04	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी भीलवाड़ा मो.न.96498–78333	01. अन्य राज्यों से आने/जाने वाले श्रमिकों के परिवहन से पूर्व मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था किया जाना। 02. परिवहन एवं आवास के दौरान श्रमिकों को मास्क/सेनिटाईजर एवं अन्य चिकित्सा उपलब्ध कराना।
05	मुख्य प्रबंधक राजस्थान परिवहन निगम भीलवाड़ा मो.न.95496–53177 दूरभाष नम्बर 01482–220111	01. अन्य राज्यों से आने/जाने वाले श्रमिकों के परिवहन की व्यवस्था हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को बस मय वाहन चालक (ईंधन सहित) उनके द्वारा निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध करवाना
06	लेखाधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा मो.न.94613–39063	01. संबंधित उपखण्ड अधिकारी को अन्य राज्यों से आने/जाने वाले श्रमिकों को परिवहन एवं आवास के दौरान चाय, जलपान/भोजन, पानी इत्यादि व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश जारी करना।

वर्तमान परिस्थिति में श्रमिकों के लिए परिवहन व अन्य व्यवस्था इत्यादि एक महत्वपुर्ण कार्य है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन में पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरती जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उन्हे सौपें गये समस्त कार्यों को राज्य सरकार एवं इस कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समय पर सम्पादित करवायेंगे। किसी प्रकार की लापरवाही शिथिलता एवं उदासीनता किसी भी स्थिति में असहनीय होगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। इस संबंध में अविलम्ब कार्ययोजन तैयार की जाकर निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें।

जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. संभागीय आयुक्त, अजमेर
02. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा
04. प्रभारी अधिकारी वॉर रूम (अति.जिला कलक्टर शहर भीलवाड़ा)
05. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
06. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा
07. मुख्य प्रबंधक राजस्थान परिवहन निगम भीलवाड़ा
08. आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा
09. प्रभारी अधिकारी नियत्रंण कक्ष।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी भीलवाड़ा
11. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
13. सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क, भीलवाड़ा
14. लेखाधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा
15. अति.निजी सचिव, जिला कलक्टर/निजी सहायक अति.जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner